HIRA

GODAWARI POWER & ISPAT

REF: GPIL/NSE & BSE /2020/4128

Date: 29.06.2020

To,

1. The Listing Department,
   The National Stock Exchange of India Ltd,
   Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
   Bandra (E), MUMBAI – 400051
   NSE Symbol: GPIL

2. The Corporate Relation Department,
   BSE Limited, Mumbai,
   1st Floor, Rotunda Building,
   Dalal Street, MUMBAI – 400 001
   BSE Security Code: 532734

Dear Sirs,

SUB:PUBLICATION OF NOTICE REGARDING TRANSFER OF SHARES TO IEPF

We have published Notice for shareholders regarding transfer of shares and unclaimed dividend to Investor Education and Protection Fund (IEPF) in Hindi & English Newspapers on 27th June, 2020. Please find enclosed herewith a copy of the paper cuttings of the same.

This is for your information and records please.

Thanking you,
Yours faithfully,
For, GODAWARI POWER AND ISPAT LIMITED

Y.C. RAO
COMPANY SECRETARY
Encl: As above

Godawari Power & Ispat Limited
An ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 certified company
CIN L27106CT1999PLC013756
Registered Office and Works: Plot No. 428/2, Phase I, Industrial Area, Siltara, Raipur - 493111, Chhattisgarh, India
P: +91 771 4082333, F: +91 771 4082234
Corporate Address: Hira Arcade, Near New Bus Stand, Pandri, Raipur - 492001, Chhattisgarh, India
P: +91 771 4082000, F: +91 771 4057601
www.godawaripowerispat.com, www.hiragroup.com

Free Press Journal 27.06.2020 Mumbai

HIRA
GODAWARI POWER & ISPAT

GODAWARI POWER AND ISPAT LIMITED

Regd. Office & Works: 428/2,Phase-I, Industrial Area, Siltara,Raipur (C.G.)
Corporate Office: Hira Arcade, Near Bus Stand, Pandri, Raipur 492004 (C.G.)
Website: www.godawaripowerispat.com E mail: yarra.rao@hiragroup.com
CIN No.: L27106CT1999PLC013756, Tel : 0771-4082000 Fax : 0771-4057601

NOTICE -TRANSFER OF SHARES TO INVESTORS EDUCATION PROTECTION FUND

The notice is being published pursuant to the provisions of Investors Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (the Rules) and amendment thereof.

The rules inter-alia contains provision for transfer of shares in the name of Investors Education Protection Fund (IEPF) in respect of which dividend has not been paid or claimed by shareholders from seven consecutive years from FY 2012-13. Adhering to the various requirements set out in the Rules, the Company has communicated individually the concerned shareholders through letters dated 26th June 2020, whose Equity Shares and Unclaimed/Unpaid Dividend for FY 2012-13 are liable to be transferred to IEPF under the Rules for taking appropriate actions.

Further in terms of Rules 6 (3) of the Rules, our company has updated the full details of such shareholders and shares due for transfers to IEPF on its website at **www.godawaripowerispat.com,** shareholders are requested to verify the details of unclaimed dividends and the shares liable to be transferred to the IEPF.

Shareholders may note that the both unclaimed dividends and the shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such shares, if any can be claimed back by them from IEPF authority after following the procedure prescribed by rules.

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate (s) in lieu of original share certificates held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF as per the rules and upon such issue, the original share certificates which stands registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. The shareholder may further note the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of duplicate share certificates by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF pursuant to the Rules.

In case no valid claim in respect of equity shares is received from shareholders by 27th September, 2020 or such other dates as may be extended, the Company shall, with a view to complying with the requirements set out in the rules, transfer the shares to IEPF by the due date as per procedure stipulated in the rules. Please note that the no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and equity shares transferred to the IEPF.

In case shareholders have any query on the subject matter, they may contact the registrar and transfer agent at M/s. Link Intime India Pvt. Ltd., C-101, 247 Park, LBS. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083, Tel No.: (022) 49186270, e-mail: iepf.shares@linkintime.co.in and rnt.helpdesk@linkintime.co.in website www.linkintime.co.in

In case the concerned shareholders wish to claim the shares after transfer to IEPF, a separate application has to be made to the IEPF authority in form IEPF-5, as prescribed under the Rules and the same is available at IEPF website i.e. www.iepf.gov.in.

For Godawari Power & Ispat Limited
Sd/-
Raipur, 26th June, 2020 **Y.C. Rao, Company Secretary**

Khanna Advt.

Godawari Power & Ispat Ltd. GPIL Raipur (C.G.)

देश

शहीदों को श्रद्धांजलि दे रही है। बड़े दुख की बात है कि केंद्र सरकार ने सीमा पर निहत्थे जवानों को भेजा गया।

मादक पदार्थ के व्यापार के खिलाफ जागरुकता बढ़ानी जरुरी: हर्षवर्धन

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस पर शुक्रवार को कहा कि इस दिवस का उद्देश्य मादक पदार्थों के दुरूपयोग के साथ-साथ इनके व्यापार के खिलाफ लड़ाई के लिए जागरुकता बढ़ाना है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, हमें इस दिवस पर नशे से पीड़ित लोगों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए जागरुक करने का संकल्प लेना चाहिए।

शाह ने बिजली गिरने से लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश और बिहार में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया श्री शाह ने आज एक ट्वीट संदेश में कहा, तेज बारिश और बिजली गिरने के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में कई लोगों के निधन से अत्यंत दुखी हूं। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि दोनों राज्यों में राहत कार्य पूरी तेजी से चल रहा है।

उवाच "

कोरोना महामारी ने उद्योगों के सामने असाधारण चुनौती पैदा की है जिसका सामना आत्मविश्वास और सकारात्मकता से किया जा रहा है। उद्योग के प्रत्येक क्षेत्र के सामने चुनौतियां हैं लेकिन ये थोड़े समय के लिए हैं: नितिन गडकरी

तापमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली	38.3	19.0
मुंबई	37.1	23.7
कोलकाता	40.5	27.6

कोरोना ने तोड़ डाली 193 साल पुरानी 'परंपरा'

जम्मू में आधा 'दरबार' बंद, दोनों राजधानियों में खुलेगा नागरिक सचिवालय

जम्मू, 26 जून (देशबन्धु)। पिछले 193 साल की परंपरा को इस बार कोरोना ने तोड़ डाला है। इस बार राजधानी शहर जम्मू में आधा 'दरबार' बंद हुआ है। अब यह 6 जुलाई को श्रीनगर में खुलेगा। पहली बार ऐसा होगा कि दोनों राजधानी शहरों में नागरिक सचिवालय कार्य करेगा। जम्मू में आज दरबार मूव से संबंधित सचिवालय के सभी कार्यालय बंद हो गए। सचिवालय से बाहर अन्य कार्यालय कल बंद होंगे।

इसके बाद यह कार्यालय छह जुलाई को सचिवालय और प्रदेश प्रशासन के प्रमुख विभागीय कार्यालयों के श्रीनगर में खुलने के साथ ही ग्रीष्मकालीन राजधानी में दरबार पूरी तरह बहाल हो जाएगा। हालांकि श्रीनगर में दरबार के बहाल होने के बावजूद जम्मू में दरबार बंद नहीं होगा और यह पहली जुलाई को फिर से क्रियाशील हो जाएगा। इस बार सभी कार्यालय और विभाग श्रीनगर नहीं जा रहे हैं। श्रीनगर में 19 विभाग और जम्मू में 18 विभागों के कार्यालय गतिशील रहेंग जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाए जाने के बावजूद 'दरबार मूव' की प्रथा जारी है, जिसके तहत हर छह महीने के बाद राजधानी बदल जाती है। इसी परंपरा के तहत इस बार पहले यह निर्देश जारी हुआ था कि नई परंपरा के तहत दरबार मूव को स्थगित करते हुए दोनों राजधानी शहरों में अलग-अलग सचिवालय काम करते रहेंगें पर कश्मीरी नेताओं के विरोध के बाद प्रशासन ने अपने आदेश को वापस ले लिया था। 4 अप्रैल को जारी निर्देश के अनुसार, पहले इसे आंशिक तौर पर स्थगित करते हुए यह कहा गया था कि फिलहाल, शीतकालीन राजधानी जम्मू में दरबार बंद नहीं होगा। 4 अप्रैल के आदेश के अनुसार, चार मई से 15 जून तक सचिवालय और दरबार मूव कार्यालयों के कर्मचारी श्रीनगर व जम्मू दोनों जगह काम करते रहेंगें। पर इसका कश्मीरियों द्वारा प्रबल विरोध किए जाने का परिणाम है कि अब इसकी तारीख को ही 15 जून तक आगे बढ़ाने के साथ ही यह निर्देश जारी किया गया कि अब पूरा दरबार मूव होगा। लेकिन अब फिर आधे से ही काम कचलाया जाएगा। यह सच है कि प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने की मुहिम के बीच सरकार ने कश्मीरी नेताओं के विरोध के आगे घुटने टेकते हुए दरबार खोलने संबंधी अपना फैसला पलट दिया। अब जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में सरकार का दरबार अब 6 जुलाई से खुलेगा लेकिन श्रीनगर सचिवालय में चार मई से आंशिक रूप से कामकाज शुरू हो चुका है। जानकारी के लिए तंगहाली के दौर से गुजर रहे जम्मू कश्मीर में दरबार मूव पर सालाना खर्च होने वाला 600 करोड़ रूपये वित्तीय मुश्किलों को बढ़ाता है। सुरक्षा खर्च मिलाकर यह 900-1200 करोड़ से अधिक हो जाता है। दरबार मूव के लिए दोनों राजधानियों में स्थायी व्यवस्था करने पर भी अब तक अरबों रूपये खर्च हो चुके हैं।

HIRA GODAWARI POWER & ISPAT

गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय और कार्य : 428/2, फेस-1, औद्योगिक क्षेत्र, सिलतरा, रायपुर, छत्तीसगढ़ कार्पोरेट कार्यालय: हीरा आर्केड, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001
सीआईएन: L27106CT1999PLC013756, दूरभाष: 0771-4082000, फैक्स: 0771-4057601, वेबसाइट: www.godawaripowerispat.com ईमेल: yarra.rao@hiragroup.com

सूचना-विनिधानकर्ता शिक्षा संरक्षण कोष में अंशो के अंतरण

यह नोटिस विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) नियम, 2016 (नियम) और उसके संशोधन के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित किया जा रहा है।

इन नियमों के साथ-साथ अंतरण के प्रावधान में सभी अंशो जिसके लाभांश का भुगतान या दावा लगातार सात साल या उससे अधिक समय तक अंशधारकों द्वारा नहीं किया गया है उन्हें विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) के नाम पर अंतरण कर दिया जायेगा। नियमों में निर्धारित विभिन्न आवश्यकताओं का पालन करते हुए, कंपनी ने जिन अंशधारकों का निरंतर पिछले सात वर्षों से (2012-13 से) लाभांश अदत्त है एवं जिनके अंश विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण कोष में अंतरण करने के लिए उत्तरदायी है उन्हें उनके उपलब्ध पते पर पत्र के माध्यम से दिनांक 26 जून 2020 को उचित आवेदन प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया गया है।

उपरोक्त नियमों के नियम 6 (3) के संदर्भ में, हमारी कंपनी ने अपनी वेबसाइट www.godawaripowerispat.com पर आईईपीएफ में अंतरण होने वाले अंशो और अंशधारकों का पूरा विवरण अपडेट किया गया है, अंशधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे दावा न किए गए लाभांश के विवरण आईईपीएफ में अंतरण करने के लिए उत्तरदायी अंशो का निरिक्षण करे।

अंशधारकों को सूचित किया जाता है कि यदि इन अंशो पर अर्जित सभी लाभों सहित बेदावा लाभांश आईईपीएफ में अंतरण कर दिया गया हो। अत: नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण से किसी भी पर दावा किया जा सकता है।

संबंधित अंशधारकों जो, भौतिक रूप में अंश धारण करते हैं और नियमों के अनुसार जिनके अंश आईईपीएफ में अंतरण करने के लिए उत्तरदायी हैं, कृपया ध्यान दें कि कंपनी अंशो के अंतरण के उद्देश्य से उनके द्वारा आयोजित मूल अंश प्रमाण पत्र के बदले डुप्लिकेट अंश प्रमाण पत्र जारी करेगी और इस तरह के मुद्दे पर, मूल अंश प्रमाण पत्र जो उनके नाम पर पंजीकृत हैं, स्वचालित रूप से रद्द हो जाएंगे और गैर-विचारणीय समझा जाएगा। अंशधारक यह भी ध्यान दे कि नियमों के अनुसार आईईपीएफ को अंशो के अंतरण के उद्देश्य से कंपनी द्वारा डुप्लिकेट अंश प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में कंपनी द्वारा वेबसाइट पर अपलोड किए गए विवरणों को ध्यान में रखा जाए और उसे पर्याप्त नोटिस समझा जाएगा।

यदि 27 सितंबर, 2020 तक अंशधारकों से इक्विटी अंशो के संबंध में कोई वैध दावा प्राप्त नहीं होता है या ऐसी अन्य तिथियां विस्तारित की जा सकती हैं, तो कंपनी नियमों में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए, अंशो को नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार देय तिथि से आईईपीएफ में अंतरण किया जायेगा। कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ में अंतरण अनधिकृत लाभांश राशि और इक्विटी अंशो के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

यदि अंशधारकों के पास विषय वस्तु पर कोई प्रश्न है, तो वे रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। लिंक इंटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड, सी-101, 247 पार्क, एलबीएस। मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई - 400083, टेली नंबर: (022) 49186270, ई-मेल: iepf.shares@linkintime.co.in एवं rnt.helpdesk@linkintime.co.in वेबसाइट www.linkintime.co.in वेबसाइट www.linkintime.co.in

संबंधित अंशधारक आईईपीएफ में अंतरण के बाद अंशो का दावा करना चाहते हैं, तो नियमों के तहत निर्धारित आईईपीएफ-5 के रूप में आईईपीएफ प्राधिकरण को एक अलग आवेदन किया जाना चाहिए और यह आईईपीएफ वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है।

कृते, गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड
हस्ता.
रायपुर, 26 जून 2020 — वाय.सी.राव, कंपनी सचिव

HIRA HIRA FERRO ALLOYS

हीरा फेरो एलॉयज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय और कार्य: 567 बी, उरला औद्योगिक क्षेत्र, उरला, रायपुर, छत्तीसगढ़ कॉर्पोरेट कार्यालय: हीरा आर्केड, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ 492001
सीआईएन: L27101CT1984PLC005817, दूरभाष: 0771-4082000, फैक्स: 0771-4057601, वेबसाइट: www.hiraferroalloys.com ईमेल: mohit.chande@hfal.in

सूचना-विनिधानकर्ता शिक्षा संरक्षण कोष में अंशो के अंतरण

यह नोटिस विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) नियम, 2016 (नियम) और उसके संशोधन के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित किया जा रहा है।

इन नियमों के साथ-साथ अंतरण के प्रावधान में सभी अंशो जिसके लाभांश का भुगतान या दावा लगातार सात साल या उससे अधिक समय तक अंशधारकों द्वारा नहीं किया गया है उन्हें विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) के नाम पर अंतरण कर दिया जायेगा। नियमों में निर्धारित विभिन्न आवश्यकताओं का पालन करते हुए, कंपनी ने जिन अंशधारकों का निरंतर पिछले सात वर्षों (2012-13) से लाभांश अदत्त हैं, एवं जिनके अंश विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण कोष में अंतरण करने के लिए उत्तरदायी है उन्हें उनके उपलब्ध पते पर पत्र के माध्यम से दिनांक 26 जून 2020 को उचित आवेदन प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया गया है।

उपरोक्त नियमों के नियम 6 (3) के संदर्भ में, हमारी कंपनी ने अपनी वेबसाइट www.hiraferroalloys.com पर आईईपीएफ में अंतरण होने वाले अंशो और अंशधारकों का पूरा विवरण अपडेट किया गया है, अंशधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे दावा न किए गए लाभांश के विवरण आईईपीएफ में अंतरण करने के लिए उत्तरदायी अंशो का निरिक्षण करे।

अंशधारकों को सूचित किया जाता है कि यदि इन अंशो पर अर्जित सभी लाभों सहित बेदावा लाभांश आईईपीएफ में अंतरण कर दिया गया हो। अत: नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण से किसी भी पर दावा किया जा सकता है।

संबंधित अंशधारकों जो, भौतिक रूप में अंश धारण करते हैं और नियमों के अनुसार जिनके अंश आईईपीएफ में अंतरण करने के लिए उत्तरदायी हैं, कृपया ध्यान दें कि कंपनी अंशो के अंतरण के उद्देश्य से उनके द्वारा आयोजित मूल अंश प्रमाण पत्र के बदले डुप्लिकेट अंश प्रमाण पत्र जारी करेगी और इस तरह के मुद्दे पर, मूल अंश प्रमाण पत्र जो उनके नाम पर पंजीकृत हैं, स्वचालित रूप से रद्द हो जाएंगे और गैर-विचारणीय समझा जाएगा। अंशधारक यह भी ध्यान दे कि नियमों के अनुसार आईईपीएफ को अंशो के अंतरण के उद्देश्य से कंपनी द्वारा डुप्लिकेट अंश प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में कंपनी द्वारा वेबसाइट पर अपलोड किए गए विवरणों को ध्यान में रखा जाए और उसे पर्याप्त नोटिस समझा जाएगा।

यदि 27 सितंबर, 2020 तक अंशधारकों से इक्विटी अंशो के संबंध में कोई वैध दावा प्राप्त नहीं होता है या ऐसी अन्य तिथियां विस्तारित की जा सकती हैं, तो कंपनी नियमों में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए, अंशो को नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार देय तिथि से आईईपीएफ में अंतरण किया जायेगा। कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ में अंतरण अनधिकृत लाभांश राशि और इक्विटी अंशो के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

यदि अंशधारकों के पास विषय वस्तु पर कोई प्रश्न है, तो वे रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। लिंक इंटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड, सी-101, 247 पार्क, एलबीएस। मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई - 400083, टेली नंबर: (022) 49186270, ई-मेल: iepf.shares@linkintime.co.in एवं rnt.helpdesk@linkintime.co.in वेबसाइट www.linkintime.co.in

संबंधित अंशधारक आईईपी[illegible] अंशो का दावा करना चाहते हैं, तो नियमों के तहत निर्धारित [illegible] आईईपीएफ प्राधिकरण को एक अलग आवेदन किया जाना [illegible] यह आईईपी[illegible] वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है।

[illegible] हीरा फेरो एलॉयज लिमिटेड
हस्ता.
रायपुर, 26 जून 2020 — [illegible]हित चान्दे, कंपनी सचिव

Godawari Power & Ispat Ltd. GPIL Raipur (C.G.)